

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन  
मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केंद्रीय क्षेत्र)  
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001  
दूरभाष: 0135-2650809  
फैक्स-0135-2653010  
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS &  
CLIMATE CHANGE  
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL  
ZONE)  
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001  
PHONE- 0135-2650809  
FAX- 0135-2653010  
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 08वी/यू०सी०पी०/०६/181/2015/एफ०सी० 112/2016 दिनांक 16/12/2018

सेवा में

अपर मुख्य सचिव (वन)  
उत्तराखण्ड शासन,  
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - नैनीताल में राज्य राजमार्ग 41 के किमी 82 शेरनाला/अरानी रौला में 120 मी० स्पान आर०सी० प्रीस्टेड कंक्रीट सेतु व पहुँच मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.44 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-1221/FP/UK/ROAD/8508/2 दिनांक 02.11.2018

मतादय

कृपया उपरोक्त विषय पर ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/8508/2014 का आशय ग्रहण करने के बाद करे, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयवस्तु प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 26.09.2018 द्वारा सौद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की थी जिसमें उल्लिखित शर्तों की अनुपालना आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड के उपर सौंपित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपका सूचना पत्रों का निर्देश हुआ है कि केंद्र सरकार जनपद- नैनीताल में राज्य राजमार्ग 41 के किमी 82 शेरनाला/अरानी रौला में 120 मी० स्पान आर०सी० प्रीस्टेड कंक्रीट सेतु व पहुँच मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.44 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की विधिक स्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा पातन किये जाने वाले वृक्षों के दत्त गुना अर्थात् 580 रु० वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन किया जायेगा जिस पर Forward तथा Back bearing भी अंकित किया जाएगा।
4. सड़क के निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।
5. एन.पी.डी की दरा में अगर बढातरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरा पर एन.पी.डी वन को देना होगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी तरह के कैंप नहीं लगाया जाएगा।

7. राज्य सरकार district profile की CA stipulation details को Part 2 के कॉलम 14 में उपरोक्त ही विधिवत् स्वीकृति का अन्तिम आदेश जारी करेगी।

8. प्रयोक्ता अभिकरण को द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं प्रसाई गैर/कैशियन लेब की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 50 से अधिक है।

10. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की जनसंख्या एवं जीव-जन्तु किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।

11. परियोजना निर्माण से उत्पन्नित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलबा निस्तारण के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र नहीं फेंका जाएगा।

12. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।

13. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव लागू होते हैं तो उनके अधीन राक्षस प्राधिकारी की अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी पर उत्तरदायित्व होगा।

14. ऐसी कोई अन्य शर्त जो गवर्नर के अन्तर्गत कार्यालय वन एवं वन्य जीवों आदि के संरक्षण हेतु अन्य समझे।

इस स्वीकृति में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा सन्तोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।

भवदीय

(कमल  
वन सचिव)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर वन महानिदेशक (एफओसीओ), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जारंगल रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कॉलोनी, वन उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(कमल  
वन सचिव)